



कार्यालय प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस  
जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.)

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड - A+



क्रमांक : 1994/2025

बैतूल, दिनांक 22/11/25

**पुस्तके क्रय हेतु निविदा आमंत्रण 2025-26**

महाविद्यालय के ग्रंथालय में सत्र 2025-26 के लिए शासन द्वारा प्रदत्त बजट/जनभागीदारी मद/ अन्य मद से पुस्तके क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निम्नांकित शर्तों के साथ निविदा विज्ञापन के 21 दिवस में निविदा सील बंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है।

क्र.	पुस्तक के प्रकार	छूट प्रतिशत में
1	पाठ्य पुस्तके (हिन्दी/अंग्रेजी) पाठ्यक्रमानुसार	
2	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
3	अन्य प्रकाशन की पुस्तकें	
4	साहित्यिक पुस्तके (हिन्दी/अंग्रेजी) कहानी उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध आदि।	
5	शासकीय प्रकाशन की पुस्तकें	
6	शासकीय नियमों की पुस्तकें	
7	संदर्भ पुस्तके	
8	विदेशी मुद्रण की पुस्तके	
9	प्रतियोगी परीक्षा हेतु पुस्तके	
10	विधि की पुस्तके	

- शर्तें -
1. एफओआर शासकीय ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल तक देय होगा।
  2. लिफाफे पर पुस्तकालय हेतु निविदा 2025-26 अवश्य लिखे।
  3. निविदा पर जीएसटी नंबर, पेन नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए।
  4. निविदा के साथ नवीनतम सूची पत्र संलग्न होना चाहिए।
  5. पुस्तके सत्र 2025-26 से प्रथम वर्ष में लागू नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए।
  6. पुस्तके निश्चित समय अवधि में प्रदान होना चाहिए।
  7. प्राचार्य के पास किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
  8. छूट प्रतिशत जीएसटी सहित होगा। अलग से बिल में जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  9. विदेशी मुद्र का परिवर्तित भारतीय मूल्य वर्तमान दर के अनुसार होगा।
  10. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ज.हा.शास.स्ना.महावि. बैतूल का निर्णय अंतिम/बंधनकारी होगा।
  11. निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ज.हा.शास.स्ना.महावि. बैतूल स्व विवेक से पेरामीटर/ प्रक्रिया निर्धारित कर सफल संस्था के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
  12. सफल निविदाकार द्वारा पुस्तकें निर्धारित समय सीमा में प्रदाय न करने पर एल-2 पर आए निविदाकार की क्रयादेश प्रदाय किया जावेगा। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया म.प्र. भंडार क्रय नियम के अनुसार होगी।
  13. न्यायालयीन एवं कानूनी कार्यवाही के लिये न्यायालय क्षेत्र बैतूल होगा।

ग्रंथपाल

ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

  
प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय  
ज.हा.शास.स्ना. महाविद्यालय, बैतूल  
(म.प्र.)